कार्यालय अंचल अधिकारी, नामकुम, रॉंची

अनुसूची 14–फारम सं0 562

आदेश – पत्रक
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– ता0........................से..........................तक

जिला :– रॉंची । वाद सं0 – 05/21–22

केस का प्रकार – लगान निर्धारण।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश औरं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08/03/2022	आवेदक ललन प्रसाद पिता स्व॰ मोहन लाल, अमित प्रसाद पिता शिवनारायण प्रसाद, निवासी कैलाश बाबु स्ट्रीट हिन्दपीड़ी रॉंची वो रंजन सहाय, नवीन कुमार सिन्हा एवं अन्य के द्वारा निम्नाकित भूमि का लगान निर्धारण हेतु आवेदन उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची को दिया गया है इस संबंध में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, रॉंची का पत्रांक 774(ii) दिनांक 23.02.2022 प्राप्त है। भूमि का विवरणः– <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना नं॰</th><th>खाता नं॰</th><th>प्लॉट नं॰</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>तुम्बागुटू</td><td>301</td><td>74</td><td>877, 962, 1126, 1127, 1154, 1155</td><td>3.42 एकड़</td></tr></table> उक्त भूमि से संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन तथा अंचल अमीन से दखल संबंधी प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 29/03/2022 को उपस्थापित करें। 08/03/22 अंचल अधिकारी, नामकुम	
29/03/2022	अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त । अतः अभिलेख दिनांक 19/04/2022 को उपस्थापित करें। 29/03/22 अंचल अधिकारी, नामकुम	

19.04.2022 अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त । पिठासीन पदाधिकारी अवकाश पर ।

अतः अभिलेख दिनांक 05/05/2022 को उपस्थापित करें ।

19/04/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम

05/05/2022 अभिलेख उपस्थापित। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आम सूचना एवं नोटिस निर्गत करें कि यदि इसमें किसी आम एवं खास को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे दिनांक 04/06/2022 तक लिखित रूप से आपत्ति के कागजात के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में आपत्ति दायर कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदक से मूल कागजात की मांग करें ।

अतः अभिलेख दिनांक 04/06/2022 को उपस्थापित करें ।

05/05/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम।

अभिलेख उपस्थापित।

04/06/2022 तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। दोनों पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा खतियान एवं वंशावली प्रस्तुत किया गया। द्वितीय पक्ष द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु एक माह का समय की माँग की गयी।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक अमीन से दखल कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें।

अभिलेख दिनांक 05/07/2022 को उपस्थापित करें।

04/06/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम।

05/07/2022

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार सर्वे खतियान में मौजा तुम्बागुटू थाना नं॰ 301 के अंतर्गत खाता सं॰ 74 प्लॉट सं॰ 877, 962, 1126, 1127, 1154 एवं 1155 रकबा क्रमशः 0.37 ए॰, 1.25 ए॰, 0.94 ए॰, 0.10 ए॰, 0.73 ए॰ और 0.03 ए॰ भूमि भगवत शहाए, लोकेशर शहाए, मोतीलाल शहाए, महेशवरी चरन शहाए पेशरान बलदेव शहाए वहिस्सा बराबर जाति काएस्त निवासी साकिन राँची महल्ला हीन्दपीड़ी खेवट नं॰ 02 नाम लगान पानेवाले राजगुरू सीरीधरनाथ राओ पेन्डशे दर्ज है। पंजी–II के भो॰सं॰ I के पृष्ठ सं॰ 74 में मौजा तुम्बागुटू खाता सं॰ 74 भागवत सहाय के नाम से दर्ज था परन्तु परिवर्त्तन का प्राधिकार कॉलम में "पूरा खाता बिक्री हो गया है।" दर्ज है।

अंचल अमीन के साथ संयुक्त जाँच किया जिसमें पाया कि वर्णित भूमि में चम्पा उरांव पिता करमा उरांव, सनीचरवा लकड़ा पिता फातु लकड़ा (उरांव), लोदो उरांव पिता गान्डु उरांव, विसुवा उरांव पिता साधु उरांव सभी का पता करमटोली, तुम्बागुटू के द्वारा खेती किया जा रहा है।

दोनो पक्षकारों द्वारा भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित खतियान के सत्यापन हेतु प्रभारी उप समाहर्त्ता जिला अभिलेखागार, राँची को भेजें। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कबुलियत पट्टा सं॰ 1559 वर्ष 1937 के सत्यापन हेतु जिला अवर निबंधक, राँची को भेजें।

अभिलेख दिनांक 08/08/2022 को उपस्थापित करें।

05/07/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम

08/08/2022

अभिलेख उपस्थापित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, राँची के पत्रांक 208(ii)/अभि॰ दिनांक 20.07.22 द्वारा खतियान की सत्यापित प्रति प्राप्त। जिला अवर निबंधक, राँची से कबुलियत पट्टा सं॰ 1559 वर्ष 1937 का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त।

अभिलेख दिनांक 06/10/2022 को उपस्थापित करें।

08/08/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम

06/10/2022

अभिलेख उपस्थापित।

जिला अवर निबंधक, राँची से कबुलियत पट्टा सं॰ 1559 वर्ष 1937 का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त।

अभिलेख दिनांक 15/12/2022 को उपस्थापित करें।

06/10/22

अंचल अधिकारी,
नामकुम

15/12/2022

अभिलेख उपस्थापित।

जिला अवर निबंधक, राँची के पत्रांक 1806 दिनांक 12.12.2022 से कबुलियत पट्टा सं॰ 1559 वर्ष 1937 का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त। कबुलियत पट्टा सं॰ 1559 वर्ष 1937 के सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि–

1. दस्तावेज संख्या 1559 जिल्द संख्या 23 पृष्ठ संख्या 29 से 31 वर्ष 1937 कार्यालय अभिलेखागार में खोज की जा रही है, उपलब्ध होने पर दस्तावेज की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी।

2. दस्तावेज की छायाप्रति में नाम मोकिर का नाम करमा उरांव, बुनीओ उरांव, पेसरान गहनु उरांव वो जीतनी उराईन वो नाबालिग मादी उरांव के नाम से वर्ष 1937 के अनुक्रमणिका–I में जाँच की गई। अनुक्रमणि में नाम मोकिर के नाम की प्रविष्टि दर्ज नहीं पाई गई।

3. नाम मोकिर अलैह राज गुरू श्री राज गुरू पेण्डसे के नाम से अनुक्रमणिका–I में प्रविष्टि दर्ज है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

4. दस्तावेज के ठेपा संख्या 3553, 3554 एवं 3555 में जिल्द संख्या एवं वर्षे दर्ज नहीं है, इससे दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होता है।

उक्त संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे खतियान के अनुसार मौजा तुम्बागुटू थाना नं॰–301 के अंतर्गत खाता सं॰–74 प्लॉट सं॰–91 सहित कुल रकबा–12.69 ए॰ भूमि भगवत शहाए, लोकेशर शहाए वगै॰ दर्ज है। पंजी–II के भो॰ सं॰–I के पृष्ठ सं॰–76 में भागवत सहाय के नाम से मौजा तुम्बागुटू खाता सं॰–74 कुल रकबा–3.17 ए॰ भूमि चैतु उरांव पिता कामु उरांव दर्ज है। परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में "लगान शामिल खाता नं॰ 37" दर्ज है। अंचल अमीन के साथ स्थल जाँच किया गया। जिसमें पाया कि उक्त भूमि पर चम्पा टोप्पो वगै॰ के द्वारा दखल कब्जा किया गया है।

नोटिस उपरांत उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का भवदीय पत्रांक 1322(ii) दिनांक 06.07.22 के द्वारा सत्यापन कराया गया। जिसका सत्यापन जिला अवर निबंधक, राँची के पत्रांक 1806 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा प्राप्त हुआ। पत्र में वर्णित बिन्दु–1 में "अभिलेखागार में खोज की जा रही है। उपलब्ध होने पर दस्तावेज की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी" दर्ज है। बिन्दु–4 में "दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होता है" लिखा हुआ है के आधार पर उक्त भूमि लगान निर्धारण से नहीं, जमाबंदी रद्द से संबंधित प्रतीत होता है। अतः पत्र के आलोक में नोटिस उपरांत जमाबंदी रद्द की कार्रवाई की जा सकती है एवं अभिलेख संचिकास्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
नामकुम।

अंचल अधिकारी
नामकुम।

Digitally signed by BINOD PRAJAPATI
Date: 2023.02.21 13:55:35 +05:30
Location: 192.168.0.125